बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-11/विविध-6-12/2015- पटना, दिनांक-

आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाॅ के अधीन पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य हेतु मेसर्स के0एन0आर0-जे0के0एम0- कमला (जे0भी0), नई दिल्ली के साथ एकरारनामा संख्या- 01 एस0बी0डी0/ 2009-10 सम्पन्न किया गया जिसकी एकरारित राशि 225.27 करोड़ रूपये हैं । एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्त करने की तिथि 31.03.2012 थी । परन्तु Site Condition के आधार पर कार्य की मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका । फलत: संवेदक के अनुरोध पर दिनांक- 31.03.2014 तक का समय वृद्धि दिया गया । इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया । इस अवधि में कार्य में प्रगति लाने हेतु संवेदक को बार-बार स्मारित किया गया लेकिन संवेदक द्वारा लगातार आश्वासन ही दिया जाता रहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण कर दिया जायेगा । समय वृद्धि के पश्चात दिनांक- 31.03.2014 तक भी कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक- 31.03.2015 तक का पुन: समय वृद्धि विस्तारित किया गया । विस्तारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने हेतु संवेदक द्वारा दिनांक- 06.09.2014 को हस्ताक्षरित शपथ-पत्र दिया गया जिसमें कार्य को मार्च 2015 तक पूर्ण करने हेतु कार्यक्रम अंकित है ।

संवेदक द्वारा कराये जा रहे कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की गई एवं यह पाया कि कार्य की प्रगति शपथ-पत्र में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं है । इसी क्रम में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाॅ के द्वारा कार्य की अद्यतन प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए समेकित प्रगति मात्र 27-28 प्रतिशत पाये जाने के कारण शपथ-पत्र के अनुरूप कार्य में प्रगति नहीं लाने के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली - 2007 के तहत कार्य पूर्ण किये जाने तक निलंबित किए जाने हेतु अपने पत्रांक- 487 दिनांक- 04.03.15 द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में संवेदक को अंतिम रूप से कारण पृच्छा करते हुए नोटिस दिया गया । जिसके क्रम में संवेदक द्वारा अपने पत्रांक- के0एन0आर0- जे0के0 एम0- कमला- 180/2015/3191 दिनांक- 09.03.2015 द्वारा लंबित दावों का उल्लेख करते हुए प्रतिउत्तर समर्पित किया गया । पत्र में उठाये गये विन्दुओं पर कार्यपालक अभियंताओं से प्रमंडलवार प्रतिवेदन प्राप्त कर वस्तु स्थिति से मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाॅ द्वारा अपने पत्रांक- 675 दिनांक- 31.03.2015 द्वारा संवेदक को अवगत करा दिया, जिसके अनुसार संवेदक द्वारा किये गये सभी दावा आधारहीन एवं तथ्य से परे पाया गया ।

संवेदक द्वारा समर्पित शपथ-पत्र में वर्णित कार्य की मात्रा को कम करते हुए संशोधित लक्ष्य दिया गया, इसके बावजूद भी दिनांक- 31.03.2015 तक कार्य की प्रगति मात्र- 11-12 प्रतिशत रही । उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा अपने ही स्तर से दिये गए शपथ-पत्र एवं लक्ष्य का उल्लंघन कर कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया गया है ।

मुख्य अभिंयता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाॅ से इस मामले में पत्रांक- 680 दिनांक- 01.04.2015 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा की समीक्षा विभाग द्वारा की गई । समीक्षोपरांत संवेदक का कृत एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाया गया है ।

कृ0प0उ0-

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम -11 (ग) में वर्णित प्रावधानों के तहत के0एन0आर0-जे0के0एम0- कमला (जे0भी0), सी0-27, सेक्टर -26, नोएडा, उत्तर प्रदेश/ कॉरपोरेट ऑफिस-सी - 84, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली -110048 के निबंधन संख्या- 104/2010 (प्रथम श्रेणी) को एक साल के लिए निलंबित किया जाता है ।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञापांक- 2114 पटना, दिनांक- 17.04.15

निबंधित

प्रतिलिपिः- के0एन0आर0-जे0के0एम0-कमला (जे0भी0), एम0डी0- श्री गौरव जलान, पता- सी0-27, सेक्टर - 26, नोएडा, उत्तर प्रदेश / कॉरपोरेट ऑफिस- सी0-84, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली - 110048 तथा स्थानीय पता- फ्लैट नंबर- 403, गोरखनाथ एण्ड लीला अपार्टमेंट, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना - 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञापांक- 2114 पटना, दिनांक- 17.04.15

प्रतिलिपिः- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विकास, पटना / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 2/3/4 / बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, पटना/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।